प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त को 14 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांक:-15.09.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 14.09.2022 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर थाना खैराबाद से सम्बन्धित मु0अ0सं0 51/13 धारा 498ए/304बी/302/201/504/506 भा.द.वि व 5/4 डीपी एक्ट बनाम 1.ताजीम पुत्र स्व0 रफीक 2.आसिया उर्फ आसिमा पत्नी स्व0 रफीक 3.साजिया बानो पुत्री स्व0 रफीक नि0गण चिलवारा थाना खैराबाद सीतापुर में पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 14.09.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-12 सीतापुर द्वारा प्राप्त साक्ष्यों/तथ्यों/बयानो के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त ताजीम पुत्र स्व0 रफीक उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 498ए/304बी/201 भा.द.वि व 4 डीपी एक्ट में 14 वर्ष कठोर कारावास व कुल 10,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....